

दिनांक 04-04-2025 से 09-04-2025 तक नलवाड़ एवं देवता मेला धर्मपुर के आयोजन से संबंधित बैठक जो दिनांक 07-03-2025 को 11:00 बजे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही:-

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची (अनुलग्नक-क) पर संलग्न है।

सर्वप्रथम उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने माननीय विधायक व बैठक में उपस्थित समस्त सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को अवगत करवाया गया कि गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी नलवाड़ व देवता मेला धर्मपुर का आयोजन दिनांक 04-04-2025 से 09-04-2025 तक धर्मपुर में किया जाएगा। इस मेले का आयोजन स्थानीय प्रशारान द्वारा समस्त विभागों, स्थानीय पंचायत व व्यापार मण्डल के सहयोग से किया जाएगा। बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि कालेज मैदान में मेले का आयोजन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में स्वीकृति हेतु याचिका दायर की गई है जिस पर अभी तक अन्तिम आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। तदोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. मेले के शुभारम्भ तथा समापन्न के लिए मुख्य अतिथि का चयन:- बैठक में उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने अवगत करवाया कि मेले के शुभारम्भ तथा समापन्न समारोह के लिए मुख्य अतिथियों का चयन किया जाना है जिस पर समस्त सदस्यों ने सर्व सहमति से प्रस्ताव रखा कि इस मेले के शुभारम्भ व समापन्न समारोह के लिए कैबिनेट रत्तर के मन्त्रियों को आमन्त्रित किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक में समस्त सदस्यों को अवगत करवाया कि वे माननीय मन्त्री महोदयों से चर्चा करने के उपरान्त इस समारोह के लिए कैबिनेट रत्तर के मन्त्रियों को आमन्त्रित किए जाने का प्रयत्न करेंगे।
2. मेले के लिए निमन्त्रण पत्र छपवाने वारे:- बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि मुख्य अतिथियों व सांस्कृतिक संघाओं के कलाकारों का चयन होने के उपरान्त निमन्त्रण पत्र डिजिटल माध्यम से वितरित किए जाएं।

कार्यवाही अध्यक्ष मेला समिति द्वारा।

3. मेले के आयोजन हेतु वित्त संसाधनों का संग्रहण:- बैठक में अध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया कि इस मेले का सफल आयोजन विभिन्न साधनों द्वारा एकत्रित की गई आय पर निर्भर करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्त विभागों के कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध किया कि मेले के रत्तर को नई दिशा देने के लिए धनोपार्जन के विषय पर गम्भीरता से प्रयत्न करें तथा गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अपना बहुमुल्य सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। अध्यक्ष महोदय ने समस्त विभागों के कार्यालयाध्यक्षों से यह भी अनुरोध किया कि जो आर्थिक सहयोग का लक्ष्य उनके लिए चर्चा उपरान्त निर्धारित किया गया है उसे पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मेला मैदान के आवंटन का


Sub Divisional Officer (C)
Dharanipur, Distt. Mandi (H.P.)


कार्य नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा जिसके लिए समय रहते नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।

कार्यवाही समर्त सम्बन्धित विभागों
द्वारा।

4. शोभा यात्रा:- बैठक में उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने अवगत करवाया गया कि इस मेले के दौरान दिनांक 04.04.2025 तथा 09.04.2025 को शीतला माता मन्दिर परिसर से मेला मैदान तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा को आरंधक बनाने के लिए उन्होंने माननीय सदन से सुझाव मांगे। बैठक में इस मद पर विरहुत चर्चा करने के उपरान्त सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए देवी देवताओं के अतिरिक्त विभिन्न महिला मण्डलों की सदस्याओं को भी आमन्त्रित किया जाए। महिला मण्डलों को आमन्त्रित करने का कार्य खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपरिथित समर्त सदस्यों से अनुरोध किया कि शोभा यात्रा के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करे ताकि अधिक-से-अधिक लोग इसमें शामिल हो सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शोभा यात्रा के दौरान डी०पी०एस० धर्मपुर की छात्राओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया कि शोभा यात्रा के दौरान स्थानीय बजंतरियों को भी पारम्परिक वाद्य यन्त्रों सहित शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया जाए जिस पर सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि शोभा यात्रा के लिए गठित की गई उप समिति इन बजंतरियों को आमन्त्रित करने की सम्भावनाओं को तलाश करने के उपरान्त उचित निर्णय ले।

कार्यवाही समर्त सम्बन्धित विभागों,
संयोजक शोभा यात्रा उप समिति व
डी०पी०एस० धर्मपुर द्वारा।

5. देवी देवताओं को आमन्त्रित करने बारे:- बैठक में उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने अवगत करवाया कि गत वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी नलवाड़ एवं देवता मेला-2025 के दौरान विभिन्न देवी देवताओं को आमन्त्रित किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि जो देवी-देवता गत वर्ष आमन्त्रित किए गए थे केवल उन्हीं देवी-देवताओं को इस वर्ष भी आमन्त्रित किया जाए तथा अन्य किसी नए देवी-देवताओं को शामिल न किया जाए। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि देवी-देवताओं को निमन्त्रण का कार्य तहसीलदार धर्मपुर के द्वारा पूर्ण करवाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने तहसीलदार धर्मपुर को निर्देश दिए कि वह समय पर देवी-देवताओं को आमन्त्रित किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि देवी-देवताओं के साथ आए हुए देवलुओं को दिए जाने वाले गोजन (धाम) को तैयार करने व अन्य कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग व जल शवित विभाग द्वारा मजदूर उपलब्ध करवाए जाएंगे। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने वन परिक्षेत्राधिकारी धर्मपुर को निर्देश दिए कि वह धाम के आयोजन के लिए सूखी लकड़िया


Sub Divisional Officer (C)
Dharampur, Distt. Mandi (H.P.)

शीतला माता मन्दिर परिसर में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह प्रस्ताव रखा कि देवलुओं के लिए दिए जाने वाले भोजन की व्यवस्था साधन सम्पन्न रथानीय लोगों द्वारा रवेच्छा से की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि देवलुओं को दी जाने वाली प्रथम धाम की व्यवस्था उनके द्वारा अपने रत्तर पर की जाएगी। बैठक में उपस्थित श्री विपिन हाजरी ने देवलुओं को दी जाने वाली अन्तिम धाम की व्यवस्था उनके द्वारा अपने रत्तर पर किए जाने की घोषणा की जिसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय व सम्पूर्ण सदन के द्वारा रवागत किया तथा अन्य रथानीय लोगों से भी अनुरोध किया कि जो व्यक्ति देवलुओं के लिए धाम लगवाना चाहते हैं वे इस बारे इस कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

कार्यवाही तहसीलदार धर्मपुर/अधिशाषी
अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/अधिशाषी
अभियन्ता जल शक्ति विभाग व चन
परिक्षेत्राधिकारी धर्मपुर द्वारा।

6. प्लॉट, डोम, झूला व दुकानों के आवंटन बारे:-

बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि मेला ग्राउंड का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए नीलामी की प्रक्रिया सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार सन्धोल की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी के द्वारा पूर्ण की जाएगी।

कार्यवाही सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं
तहसीलदार सन्धोल द्वारा।

7. विभिन्न विभागीय प्रदर्शनियों बारे:-बैठक में चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा उनके विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वारे प्रदर्शनियों लगवाई जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक में समस्त विभागों को निर्देश दिये कि वे अपने—अपने विभागों से सम्बन्धित जन कल्याणकारी योजनाओं वारे लोगों को पम्पलैट, फलैक्स व पोस्टरों के माध्यम से जागरूक करना सुनिश्चित करें। इन प्रदर्शनियों के लिए प्रति स्टाल मु0 10000/- रुपये की राशि प्रत्येक विभाग से ली जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जो—जो विभाग अपने विभाग की विभागीय प्रदर्शनी इस मेले के दौरान लगवाएंगे वे दिनांक 25.03.2025 तक इसकी सूचना व मु0 10,000/- रुपये की राशि उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर के कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही उनके विभाग को प्रदर्शनी हेतु स्टाल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर को निर्देश दिये कि महिला मण्डलों तथा रवयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई सामग्री को मेले में विक्रय करने हेतु भी प्रोत्साहित करें तथा यदि उन्हें स्टाल की आवश्यकता हो तो समय पर आवश्यक धनराशि उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर के कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही समस्त विभागाध्यक्ष व खण्ड
विकास अधिकारी धर्मपुर द्वारा।


Sub-Divisional Officer (C)
Dharampur, Distt. Mandi (H.P.)

8. सांस्कृतिक कार्यक्रम— बैठक में उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने बैठक में सदन को अवगत करवाया कि मेले के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें रथानीय कलाकारों के अतिरिक्त पंजाबी, बालीबुड़ व पहाड़ी गायकों को भी आमन्त्रित किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रथानीय कलाकारों का चयन आडिशन के माध्यम से किया जाएगा तथा यह आडिशन दिनांक 24 व 25 मार्च, 2025 को लिया जाएगा। अन्य मुख्य कलाकारों का चयन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए गठित की गई उप समिति द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान दिन के समय महिला मण्डलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

कार्यवाही संयोजक सांस्कृतिक कार्यक्रम
उप समिति, संयोजक आडिशन उप समिति
व खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर द्वारा।

9. खेलों व अन्य गतिविधियों का आयोजन— उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने बैठक में अवगत करवाया कि मेले के दौरान विभिन्न खेलों के अतिरिक्त महिलाओं से सम्बन्धित खेलें, कुश्टी, मैराथन दौड़ आदि का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि उप मण्डलीय पुलिस अधिकारी धर्मपुर की अध्यक्षता में खेल उप समिति गठित की जाए जो खेलों के आयोजन से सम्बन्धित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को देखेंगे तथा महिलाओं से सम्बन्धित खेलों का आयोजन खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर के माध्यम से करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान बेबी—शो प्रतियोगिता व रक्त दान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा जिसकी व्यवस्था खण्ड चिकित्सा अधिकारी सन्धोल की अध्यक्षता में गठित उप समिति के माध्यम से किया जाएगा। हाफ—मैराथन प्रतियोगिता का विषय (Theme) “रचरथ धर्मपुर—नशामुक्त धर्मपुर” होगा।

कार्यवाही संयोजक खेल उप समिति, बेबी
शो उप समिति, छिंज उप समिति, महिला
खेल उप समिति व खण्ड विकास
अधिकारी धर्मपुर द्वारा।

10. कानून व्यवस्था— उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने बैठक में अवगत करवाया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित मात्रा में पुलिस बल तैनात किये जाने प्रस्तावित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उप मण्डलीय पुलिस अधिकारी धर्मपुर को निर्देश दिए कि मेला के दौरान कानून व यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए समुचित मात्रा में पुलिस बल तैनात किए जाने सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त वाहनों की पार्किंग हेतु अरथाई पार्किंग चिन्हित किया जाना भी सुनिश्चित करें।


Sub Divisional Officer (C)
Dharampur, Distt. Mandi (H.P.)

कार्यवाही उप मण्डलीय पुलिस अधिकारी
धर्मपुर द्वारा।

11. मेले के दौरान अतिरिक्त बसें चलाने वारे:- बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान लोगों की अत्यधिक आवाजाही को देखते हुए आस-पास के क्षेत्रों को अतिरिक्त बसें चलाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिंप्र०प०प०नि० धर्मपुर को निर्देश दिए गए कि वे मेले के दौरान अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था करें ताकि मेला के दौरान लोगों को आवश्यक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।

कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिंप्र०प०प०नि०
धर्मपुर द्वारा।

12. सफाई व्यवस्था:- बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान सफाई व्यवस्था हेतु एक अलग उप समिति का गठन किया जाए तथा सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त मजदूर रखे जाएं ताकि मेले में साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जा सके। सफाई के लिए अरथाई मजदूर खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर के माध्यम से रखे जाएंगे।

कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर
द्वारा।

13. पीने के पानी की व्यवस्था:- बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान मेला मैदान में पीने के पानी की व्यवस्था जल शक्ति विभाग द्वारा करवाई जाएगी।

कार्यवाही जल शक्ति विभाग धर्मपुर द्वारा।

14. मेला मैदान में झण्डे लगाने वारे:- बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान मेला मैदान के चारों ओर तथा सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगे झण्डे लगाए जाएंगे जो जल शक्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा झण्डों के लिए पाईंपे भी जल शक्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी तथा इनको लगाने का कार्य लोक निर्माण विभाग के मजदूरों के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा।

कार्यवाही जल शक्ति विभाग व लोक निर्माण विभाग धर्मपुर द्वारा।

15. विजली व्यवस्था:- माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि मेला के दौरान विजली की व्यवस्था विद्युत बोर्ड धर्मपुर के सहयोग से पूर्ण की जाएगी।

कार्यवाही विद्युत बोर्ड धर्मपुर द्वारा।

16. धर्मपुर बाजार की सजावट वारे:- बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान धर्मपुर बाजार की सजावट गत वर्षों की भान्ति सजावटी विद्युत लड़ियों के द्वारा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समर्त कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए कि अपने अपने कार्यालय भवनों की सजावट विद्युत लड़ियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यापार मण्डल के

सदस्यों से भी अनुरोध किया कि वे अपने—अपने व्यापारिक परिसरों की सजावट विद्युत लड़ियों के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने रागत मन्दिरों के संचालकों से भी अनुरोध किया कि वे मेले के दौरान मन्दिरों की सजावट की जानी सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि धर्मपुर बाजार से गुजरने वाली राहों की मुरमता, नालियों की साफ सफाई व सफेदी इत्यादि तथा मेला गंच के समीप ध्वज कुर्ची (Flag Pedestal) का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त शोभा यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले विभागों के विभागीय तोरण द्वारा भी लगाया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही समस्त विभागाध्यक्ष व व्यापार मण्डल धर्मपुर द्वारा।

बैठक में उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने अवगत करवाया कि मेले के आयोजन के लिए समय की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के सामान की आपूर्ति के लिए सभी टैंडर आमन्त्रित किए जाने सम्भव नहीं हैं जिस पर सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि हाल ही में शिवरात्रि महोत्सव मण्डी के लिए जो दरें अनुमोदित की गई थीं उनहीं दरों पर आपूर्ति आदेश जारी कर दिए जाएं तथा अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति के लिए क्य समिति गठित की जाए जो मार्केट सर्वे के आधार पर सामान क्य करने वारे अपने स्तर पर निर्णय ले सकें। इसके अतिरिक्त उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने अवगत करवाया कि धर्मपुर मेला की वैद्यसाईट का नवीकरण किया जाना है जिसके लिए भी सदन ने सर्व सहमति से अनुमति प्रदान की। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि मेले के सफल संचालन के लिए की गई चर्चा के अनुसार अलग अलग उप समितियां गठित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपरिथित समस्त सदस्यों से अनुरोध किया कि जो जो कार्य/लक्ष्य उन्हें दिए गए हैं उन्हें समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें ताकि इस मेले का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके।

उप मण्डलाधिकारी (ना०) धर्मपुर ने माननीय विधायक महोदय का इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए आभार प्रकट किया तथा उपरिथित समस्त अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस मेले के सफल आयोजन हेतु जो कार्य उनके विभागों को सौंपा गया है उसे समयबद्ध पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो उप समितियां गठित की जाएंगी उन उप समितियों के संयोजक उस कार्य को सम्बन्धित उप समिति के माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके।


अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुए सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष(एस०डी०एम०),
नलवाड़ एवं देवता मेला समिति
धर्मपुर, जिला मण्डी (हिंप्र०)।
दिनांक : 15-03-२०२५

पृष्ठांकन संख्या: उ०म०३०(ना०)धर्म० / मेला / २०२५-२०२६ -८८
प्रतिलिपि:

- उप मण्डल धर्मपुर के सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अध्यक्ष(एस०डी०एम०),
नलवाड़ एवं देवता मेला समिति
धर्मपुर, जिला मण्डी (हिंप्र०)।


Sub Divisional Officer (C)
Dharampur, Distt. Mandi (H.P.)